संख्या-56/2022/1834ई-2/तेरह-2022-141378

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 नवम्बर, 2022

विषय: मेसर्स मनकापुर चीनी मिल्स लि(आसवनी इकाई) ., ग्राम व पोस्ट दतौली, तहसील मनकापुर, जिला गोण्डा की स्वीकृत पेय क्षमता 90 लाख लीटर से बढ़ाकर 127 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-235/दो-प्रा.डी.-102/मनकापुर, दिनांक 20-10-2022 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 03-11-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1821ई-2/तेरह-2022-141378, दिनांक 04-11-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 20-10-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स मनकापुर चीनी मिल्स लि. (आसवनी इकाई), ग्राम व पोस्ट दतौली, तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा की अधिष्ठापित क्षमता 350 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 90 लाख लीटर वार्षिक को बढ़ाकर 127 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5)(ज)(झ) एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 का अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) आसवनी की बढ़ने वाली पेय क्षमता हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(3) आसवनी द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी पर राजस्व बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।